न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 25/2015 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री सरदारा पुत्र श्री लीलाराम रैबारी
निवासी—मोरडी का घाटा, पोस्ट पीपलाई, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, हाल पुलिस लाईन के सामने, दौसा।

— अभियुक्त—

जूर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक 01.06.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 06.06.2015 को प्रातः 08:30 बजे दूध विक्रेताः—पुलिस लाईन के सामने दौसा से दूध विक्रय हेतु जा रहा था, को रोककर पूछा तो उसने स्वयं को दूध विक्रेता बताया व स्वयं का नाम श्री सरदारा पुत्र श्री लीलाराम रैबारी बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन न होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की मोटर साईकिल RJ 29 3M 2520 हीरोहोण्डा ब्लेक कलर, स्पलेण्डर प्लस पर 4(1 एल्यूमिनियम व 3 लोहे की केन) में करीबन 120 लीटर दूध था जिसे स्वयं द्वारा मिश्रित दूध जिसे सुमेर सिंह की सरस डेयरी, लाका को विक्रय किया जाना बताया, में मिलावट का शक होने पर एक लोहे की कैन जिसमे करीबन 40 लीटर मिश्रित दूध था, में से हिलामिलाकर नमूने की जांच हेतु 2 लीटर मिश्रित दूध खरीदा। जिसे विक्रेता ने भी हिलामिलाकर एक साफ, सूखे एवं खाली प्लास्टिक डिब्बे में तौलकर दिया, जिसकी कीमत 50 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

यह है कि नमूने के लिये खरीदशुदा 2 लीटर मिश्रित दूध को चार साफ, सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40—40 बून्द फार्मलिन की डालकर, प्रत्येक बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों बोतलों पर चिपकाकर बोतलो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1112 गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 08.06.2015 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये।

यह है कि नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 08.06.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 09.06.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1603/एक्ट/2015/578 दिनांक 27.07.2015 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त नियत पेशी दिनांक पर उपस्थित हुआ एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी अभियुक्त श्री सरदारा पुत्र श्री लीलाराम रैबारी द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी द्वारा मिश्रित दूध को पशुपालको से क्रय करके ही इकट्ठा किया जाता है। उसके उपरान्त सरस डेयरी को विक्रय किया जाता है। अत्यधिक गर्मी की वजह से फेट में कमी के कारण नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रथम बार कारित भूल के लिये कम से कम जुर्माना लगाने की कृपा करे। भविष्य में ऐसी पुनरावर्ति नहीं होगी।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1603/एक्ट/2015/578 दिनांक 27.07.2015 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 25/2015 एफ एस एस एक्ट

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री सरदारा पुत्र श्री लीलाराम रैबारी निवासी–मोरडी का घाटा, पोस्ट पीपलाई, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, हाल पुलिस लाईन के सामने, दौसा पर 4000/–(अक्षरे चार हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 01.06.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक/9474-76

दिनांकः– 01.06.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सरदारा पुत्र श्री लीलाराम रैबारी निवासी–मोरडी का घाटा, पोस्ट पीपलाई, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, हाल पुलिस लाईन के सामने, दौसा

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official